



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2014/ज्येष्ठ 21, 1936

No. 1244]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2014/JYAISTHA 21, 1936

## कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2014

**का.आ. 1495(अ).**—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित "पशुधन" के आयात के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसूचित करती है :--

पशुधन (जीवित झींगी के सिवाए) का आयात, विद्यमान आयात नीति के अधीन विदेशी व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किसी अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, के द्वारा और इस देश के और निर्यातक देश या उदभव के देश के पशु चिकित्सा पदधारी द्वारा जारी किए गए पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में यथाविनिर्दिष्ट स्वच्छता शर्तों के पूरा करने पर अनुज्ञात किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा पशुधन के करंतीन का पालन, जहां कहीं स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के अनुसार अपेक्षित हो, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

### अनुसूची

#### 1. भारत में जीवित पशुओं के आयात की प्रक्रिया -

- (i) भारत में किसी भी पशुधन का आयात, आयातकर्ता को विदेशी व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) द्वारा जारी किसी विधिमान्य आयात अनुज्ञप्ति के बिना नहीं किया जाएगा।
- (ii) विदेशी व्यापार महानिदेशक के माध्यम से अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय आयात अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट देश का नाम सम्मिलित होगा।

(iii) आयात, इस विभाग द्वारा जारी “निरापेक्ष” के साथ उपाबद्ध भारतीय स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार निर्यातक देश या उदभव के देश के पशु चिकित्सा पदधारी द्वारा जारी विधिमान्य और अधिप्रमाणित पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र के पूरा किए जाने के अध्यधीन है।

(iv) वर्तमान में सभी जीवित पशुओं का आयात केवल दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता स्थित समुद्री पत्तन या विमान पत्तन के माध्यम से ही अनुज्ञात है। प्रवेश के लिए किसी अन्य पत्तन को भी केंद्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकेगी।

(v) कुक्कुट के समग्र स्टाक (गेलुस डोमेस्टिकस) की दशा में, आयात को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी स्वच्छता आयात अनुज्ञापत्र के अध्यधीन अनुज्ञात किया जाएगा और वर्तमान में चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद के समुद्री पत्तनों या विमान पत्तनों के द्वारा अनुज्ञात किया गया है।

(vi) सभी आयातकर्ता, विमान सेवा प्रदाता और पोत परिवहन कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि ऊपर (iv) और (v) में वर्णित पत्तनों के सिवाए किसी भी गैर अभिहित पत्तन के माध्यम से कोई पशु आयात नहीं किया जाएगा।

## 2. पशुधन के लिए पूर्व आयात अपेक्षा

(i) किसी अनुज्ञप्ति के द्वारा पशुधन का आयात भारत में स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार पूर्व आयात अपेक्षा को पूरा करने पर अनुज्ञात किया जाएगा।

(ii) सभी आयातकर्ता, तटबंध से पहले करंतीन अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी (एक्यू) को सूचित करेगा और वास्तविक लदाई के सात दिन पूर्व (अत्यावश्यक परिस्थितियों में तीन दिन तक शिथिलनीय) अनुज्ञा की मांग करेगा जिससे करंतीन परिसरों में, जहां कहीं लागू हो, समुचित इंतजाम किया जा सके।

(iii) आयातकर्ता को सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी हैं जिसके अंतर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, पैरा 1 के उप पैरा (iii) के अनुसार निर्यातकर्ता देश के पशु चिकित्सा पदधारी द्वारा जारी किया गया अधिप्रमाणित पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र या प्रवेश के क्रमशः पत्तन के पशु करंतीन अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी (एक्यू) से अनुज्ञा लेना भी है।

## 3. करंतीन अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी (एक्यू) द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन

(i) पशु करंतीन अधिकारी/प्रादेशिक अधिकारी (एक्यू) उन दस्तावेजों का सत्यापन करने के पश्चात् आयातकर्ता को पूर्व आयात अनापत्ति के रूप में निराक्षेप जारी करेगा।

(ii) उस दशा में, जब दस्तावेज अपूर्ण, कूटरचित या अवैध पाए जाएं और पूर्व आयात अनापत्ति स्तर पर भारतीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हों तो करंतीन अधिकारी आयातकर्ता को पशु/पशुओं के तटबंध को अनुज्ञात करने वाला निरापेक्ष प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा।

(iii) सीमा शुल्क विभाग सभी पदधारियों को, जिसके अंतर्गत विमान सेवा प्रदाता भी हैं, लोक सूचना के माध्यम से यह सूचना देगा कि वे देश के संबंधित पशु करंतीन और प्रमाणीकरण स्टेशन के पूर्व आयात अनापत्ति के बिना किसी भी पशुधन के पोतारोहण को अनुज्ञात न करे।

## 4. पशुधन के करंतीन के लिए पश्च आयात अपेक्षा

(i) भारत में आने के पश्चात् सीमा शुल्क प्राधिकारी परेषण को संबंधित प्रादेशिक या करंतीन अधिकारी को भेजेगा।

(ii) प्रादेशिक/करंतीन अधिकारी, भारत के पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, विदेशी व्यापार महानिदेशक अनुज्ञप्ति के साथ ही ऐसे दस्तावेज जो पूर्व आयात निरापत्ति के समय देखे गए थे, की अपेक्षानुसार मूल दस्तावेजों को सत्यापित करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो पशु को करंतीन के लिए क्रमिक पत्तन के करंतीन स्टेशन में लाने के लिए अनुज्ञात करेगा। उस दशा में, जब दस्तावेज कूटरचित या गढ़े हुए हैं या निर्यातक देश के

अधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं तो पशु (उन्हें प्रवेश के पत्तन से बाहर आने के लिए अनुज्ञात किए बिना) तुरंत विवासन या पुनर्निर्यात के दायित्वाधीन होगा।

(iii) आयातित पशु, विशिष्ट पशु के आयात के लिए किसी निश्चित समय पर लागू स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में यथा उपदर्शित किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकारी करंतीन परिसरों में करंतीन के अध्यक्षीन किए जाएंगे।

(iv) चिड़ियाघर द्वारा आयातित वन्य पशु का करंतीन क्रमिक क्षेत्र के करंतीन अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन क्रमिक चिड़ियाघर में किसी पृथक् बाड़े में किया जाएगा।

(v) जीवित पशु, करंतीन अवधि के दौरान, मानव और पशु स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए या भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझे गए पशु स्वास्थ्य प्रोटोकाल में पश्च आयात मार्गदर्शन सिद्धांतों में नियत किए गए रोगों के लिए पशु करंतीन अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन आयातकर्ता/स्वामी की लागत पर नैदानिक परीक्षण किए जाने के दायित्वाधीन होंगे।

(vi) यदि प्रादेशिक या करंतीन अधिकारी, ऐसे पशु/पशुओं के करंतीन के दौरान यह पाता है कि आयातित पशु/पशुओं को कोई विदेशागत या अन्य संक्रामक रोग है, चाहे वह रोग देश में भी है, तो प्रादेशिक अधिकारी या करंतीन अधिकारी आयातकर्ता को किसी सत्यापनीय साधन के माध्यम से सूचना देकर पशु/पशुओं का, पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो अनुज्ञात की जाए, उदभव के देश को विवासन या पुनर्निर्यात कर सकेगा।

(vii) जहां आयातकर्ता ऐसे पशु/पशुओं के बारे में ऐसे समय के भीतर, जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जाए, प्रादेशिक अधिकारी या करंतीन अधिकारी द्वारा यथानिदेशित कार्रवाई करने में असफल रहता है तो प्रादेशिक अधिकारी या करंतीन अधिकारी पशु/पशुओं को आयातकर्ता या स्वामी की लागत पर नष्ट कर सकेगा।

(viii) वायु श्वासी मछली, क्रस्टेसिया और मोलस्कस की दशा में, करंतीन शर्त तभी लागू होगी यदि इसे वायु श्वासी मत्स्य मर्दों के लिए आयात प्राधिकार के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है।

5. भारत सरकार, विनिर्दिष्ट मामलों में किसी असम्यक् कष्ट, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए लोकहित में इस अधिसूचना के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 109-01/2012-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

### NOTIFICATION

New Delhi 10th, June, 2014

**S.O. 1495(E).**—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of the 1898), Central Government hereby notifies the procedure for import of “Live-stock” notified under clause (b) of Section 2 of Live-Stock Importation Act, 1898 as follows:-

The import of live-stock (except live shrimps) shall be allowed against an import licence if any, issued by the Director General of Foreign Trade, Ministry of Commerce under the existing import policy and fulfilment of the sanitary conditions as specified in Veterinary Health Certificate of this country and issued by the official veterinarian of the exporting country or country of origin.

2. The quarantine of live-stock wherever required as per health certificate shall also be carried out by the Government as per the procedure specified in the Schedule annexed to this notification.

**SCHEDULE****1. Procedure for import of live animals into India**

- (i) No live-stock shall be imported into India without a valid import licence issued by the Director General of Foreign Trade (DGFT) to an importer.
- (ii) The import licence shall include the name of specific country at the time of applying for licence through Director General of Foreign Trade.
- (iii) The import is subject to the fulfillment of a valid and authenticated Veterinary Certificate issued by the official veterinarian of the exporting country or country of origin as per Indian health protocol annexed along with “No objection” issued by this Department.
- (iv) All live animals are presently allowed only through the seaports or airports located at Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Any other port of entry may also be notified by the Central Government from time to time.
- (v) In case of Grand Parent Stock of Poultry (*Gallus domesticus*), the import is allowed subject to Sanitary Import Permit issued by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries and is presently allowed through seaports or airports of Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore and Hyderabad.
- (vi) All importers, airlines and shipping companies shall ensure that no animal shall be imported through any non designated port other than the ports mentioned at (iv) and (v) above.

**2. Pre- import requirement for the Live-stock**

- (i) Import of livestock against a licence shall be allowed on fulfillment of pre-import requirement as per the health protocol of India.
- (ii) All the importers, before embarkment shall intimate the Quarantine Officer or Regional Officer (AQ) and will seek permission seven days in advance (relaxable up to three days in pressing circumstances) prior to actual shipment so that proper arrangement could be made in the quarantine premises wherever applicable.
- (iii) The importer has to submit the copies of all documents including valid licence, authenticated Veterinary Certificate issued by the official veterinarian of the exporting country as per sub-para (iii) of para 1 for getting permission from Animal Quarantine Officer or Regional Officer (AQ) of the respective port of entry.

**3. Verification of documents by Quarantine Officer or Regional Officer (AQ)**

- (i) The Animal Quarantine Officer/Regional Officer (AQ) will issue no objection as pre-import clearance to importer after verifying those documents.
- (ii) In case the documents are found incomplete, forged or illegal and are not in compliance with the Indian health certificate requirements at pre-import clearance stage, the Quarantine Officer will not issue the no objection certificate to the importer allowing embarkment of animal(s).
- (iii) The Customs shall inform through public notice to all stakeholders including airlines not to allow embarkation of any live-stock without the pre-import clearance of concerned Animal Quarantine and Certification Station in the country.

**4. Post- import requirement for the Quarantining of live-stock**

- (i) After landing into India, the Customs Authority shall refer the consignment to the concerned Regional or Quarantine Officer.
- (ii) The Regional/ Quarantine Officer shall verify the original documents with the requirement of India's animal health certificate, Directorate General of Foreign Trade license vis-à-vis the documents which were seen at the time of pre-import clearance and if satisfied shall allow the animal to bring into the Quarantine Station of the respective port for quarantine. In case the documents are forged or fabricated or not issued by the Official Veterinary Officer of the exporting country, the animal shall

be liable for deportation or re-export immediately (without allowing them to come out of the port of entry).

- (iii) The imported animals shall be subjected to quarantine in the Government quarantine premises for a specified period as indicated in the health certificate applicable for import of a particular animal at a given time.
- (iv) The wild animals imported by the Zoological Garden shall be quarantined in a separate enclosure at the respective Zoological Garden under the supervision of Quarantine Officer of the respective region.
- (v) The live animals, during the quarantine period, shall be liable to undergo diagnostic tests for the diseases as stipulated in the post import guidelines in the animal health protocol issued by the Government of India or as deemed necessary by the Government of India for protection of human and animal health under the supervision of Animal Quarantine Officer at the cost of importer/owner.
- (vi) If the Regional or Quarantine officer, during the quarantine of such animal(s), finds that the animal(s) imported contains any exotic or other infectious diseases even though present in the country, then the Regional Officer or Quarantine Officer may, by giving a notice to the importer through a verifiable means, to deport or re-export the animal(s) to the country of origin within fifteen days or within such period as further may be allowed.
- (vii) Where the importer fails to take action as directed by Regional Officer or Quarantine Officer such animal(s) within such time as may be allowed for the purpose, the Regional Officer or Quarantine officer may destroy the animal(s) at the cost of importer or owner.
- (viii) In case of live fish, crustaceans and molluscs, quarantine condition will be applicable only if specifically mentioned against the import authorization for live fishery items.

5. Government of India may in specific cases relax any of the provisions of this notification to remove any undue hardship, if any, in public interest.

[F. No. 109-01/2012-Trade]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2014

**का. आ. 1496(अ).**—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 2 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि “पशुधन” के अंतर्गत सभी अश्वकुलीय (प्रयोजन को विचार में लाए बिना सभी जीवित घोड़े, जिसके अंतर्गत गधा, घोड़े, खच्चर, गदर्भ, अश्वतरी भी हैं), गोकुलीय (सभी गोकुलीय प्राणी जिसके अंतर्गत पशु, भैंस, बैल या गोकुलीय वर्ग में आने वाले सभी प्राणी भी हैं), बकराकुलीय, भेंड़ कुलीय, सुअर कुलीय, कुत्ता कुलीय, बिल्ली कुलीय, पक्षी (भारत और अंतरराष्ट्रीय किसी विधि द्वारा आयात के लिए प्रतिषिद्ध पक्षियों के सिवाए पक्षियों की सभी प्रजातियां, जिसके अंतर्गत कुक्कुट भी हैं), प्रयोगशाला - जीव जन्तु (सभी प्रकार के प्रयोगशाला -जीव जन्तु जैसे चूहे, मूसक, खरगोश, गिनीपिग, हैम्सटर्स और प्रयोगशाला में प्रयुक्त सभी अन्य जीव जन्तु) और जलीय प्राणी (वायु श्वासी मछली, लाइव क्रस्टेसिया और मोलस्कस) आएंगे।

[फा. सं. 109-01/2012-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th, June, 2014

**S.O. 1496(E).**— In exercise of the power conferred by clause (b) of section 2 of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of the 1898), the Central Government hereby notifies that “Live-stock” shall include all equines (all live equine irrespective of purpose including donkey, horses, mule, assess, hinnies), bovines (all bovine animals including cattle, buffaloes, bullocks or any animals falling in the category of bovidae), caprines, ovines, swines, canines, felines, avian (all avian species except the birds prohibited for import by any law of India and international including poultry), laboratory animals (all laboratory animals such as rats, mice, rabbit, guinea-pig, hamsters and any other animals used in laboratory) and aquatic animals (live fishes, live crustaceans and molluscs).

[F. No. 109-01/2012-Trade]

Rajbir Singh Rana, Jt. Secy.